जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–116 / 2022
कम्प्यूटर नं0–1164 / 2022
UPMB010024022022
सरकार बनाम अंकित सोनी

UPMB010024022022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं0–1) / विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0, महोबा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–116 / 2022

कम्प्यूटर नं0–1164 / 2022

अंकित सोनी उम्र 29 वर्ष पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार निवासी मुहाल फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा उ0प्र0 .....प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी।

अपराध सं0–65 / 2021
धारा–504, 506 भा0दं0वि0
थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा।

13.10.2022

अभियुक्त अंकित सोनी, जो कि अपराध सं0–65 / 2021, धारा 504, 506 भा0दं0वि0, थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा से सम्बन्धित है, ने जमानत के लिए प्रथम आवेदन दिया है, जो कि उसके पैरोकार शशिकान्त द्वारा दिये गये शपथपत्र से समर्थित है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है–परिवादी राहुल पाठक पुत्र स्व0 मुकेश पाठक, निवासी मुहल्ला समदनगर महोबा, थाना कोतवाली नगर महोबा, जिला महोबा ने एक तहरीर थाना प्रभारी महोबा को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु इस आशय की दी कि उसके पिता मुकेश कुमार पाठक ने दिनांक 13.02.2021 को समय लगभग 10.45 बजे रात्रि में अपनी लाइसेंसी राइफल से छत्रपाल यादव, उनके साथियों रवि सोनी आदि की धौंस एवं दहशत की वजह से गोली मारकर स्वयं हत्या कर ली है। दिनांक 13.02.2021 को शाम 05.00 बजे गांधीनगर के RRC होटल में उसके पिता जी व उसे बुलाया गया था तथा वहॉ पर अभियुक्तगण छत्रपाल यादव इत्यादि ने भविष्य में देख लेने की धमकी दी थी, मृत्यु के उपरान्त जब अपर पुलिस अधीक्षक को उसके पिता द्वारा स्वहस्त लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित एक कथन मिला, जिसे पुलिस साथ मे ले गयी जिसकी छायाप्रतियां संलग्न है। उक्त मृत्युपूर्व बयान से स्वतः स्पष्ट है कि चौधरी छत्रपाल यादव, विक्रम यादव, आनन्द मोहन यादव, रवि सोनी, मनीष चौबे, अंकित सोनी, अभयप्रताप सिंह के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष दर्ज करायी गयी एफ0आई0आर0 दिनांक 07.02.2021 में उल्लिखित अपराध के संबंध में दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही तत्काल न किये जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही होने एवं अपराधियों द्वारा जान

से मारने की धमकी व झूंठे मुकदमे में फंसाये जाने को दृष्टिगत रखते हुये स्वयं हत्या की है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की याचना की गई।

परिवादी की उक्त आशय की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा, जिला महोबा में अपराध संख्या–65/2021, धारा 306 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण चौधरी छत्रपाल यादव, विकम यादव, आनन्द मोहन यादव, रवि सोनी, मनीष चौबे, अंकित सोनी व अभयप्रताप सिंह के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अपराध जमानतीय प्रकृति का है। शिकायतकर्ता ने दिनांक–14.02.2021 को अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध धारा–306 भा0दं0सं0 के अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। अभियुक्त को थाना कोतवाली महोबा की पुलिस द्वारा दिनांक–16.02.2021 को ही धारा–306 भा0दं0सं0 के अपराध में गिरफ्तार करके विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा के समक्ष रिमाण्ड प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में उपकारागार महोबा में भेज दिया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होने की तिथि 12.04.2021 तक धारा–167 दं0प्र0सं0 के वारण्ट में धारा–306 भा0दं0सं0 का ही अपराध अंकित रहा है। अभियुक्त का धारा–167 दं0प्र0सं0 का वारण्ट, आरोप पत्र प्रस्तुत होने एवं प्रसंज्ञान लेने की तिथि 12.04.2021 को निरस्त करते हुए धारा–209(ए) दं0प्र0सं0 का वारण्ट बनाया गया जिसमें धारा–306 भा0दं0सं0 के अपराध के साथ पहली बार धारा–504, 506 भा0दं0सं0 की अपराध की बढ़ोत्तरी हुई है। अभियुक्त की ओर से अपने विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत होने के पूर्व अपनी जमानत का प्रार्थना पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा के समक्ष धारा–306 भा0दं0सं0 दिनांक–08.03.2021 को दिया गया जो उसी दिन गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश दिनांक–08.03.2022 के साथ ही माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–444/2021 दिनांक–14.04.2021 को धारा–306 भा0दं0सं0 के अपराध में भेज दिया गया जो दिनांक–16.04.2021 को गुण दोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय सत्र न्यायालय महोबा द्वारा निरस्त किये जाने के बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी धारा–306 भा0दं0सं0 के अपराध में ही जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो गुणदोष के आधार पर दिनांक–22.09.2022 को स्वीकृत हुआ। सहअभियुक्तगण छत्रपाल, मनीष चौबे, विकम, आनन्द मोहन व रविशंकर सोनी की जमानत धारा–504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर स्वीकृत की जा चुकी है। अभियुक्त की ओर से विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष धारा–504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में दिया गया यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्त

की ओर से विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा–504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में भी धारा–504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उसे धारा–504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उसकी जमानत खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूपेण परिशीलन किया गया।

पत्रावली का सम्यक रूपेण परिशीलन करने से यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियुक्त अंकित सोनी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–65/2021 अन्तर्गत धारा–306, 504, 506 भा0दं0सं0 अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दर्ज हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कि0मिस0बेल एप्पलीकेशन संख्या–26203/2021 के द्वारा अभियुक्त अंकित सोनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–306 भा0दं0सं0 अपने सम्मानित आदेश दिनांकित–22.09.2022 के द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। उक्त परिस्थितियों में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त अंकित सोनी की ओर से अन्तर्गत धारा–504, 506 भा0दं0सं0 प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र 50,000/–रूपये के स्व बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अंकित सोनी द्वारा 50,000/–रूपये का स्वबंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा–504, 506 भा0दं0सं0 जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 13.10.2022

(संतोष कुमार यादव)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1/
विशेष न्यायाधीश, द0प्र0क्षे0 अधिनियम,
महोबा।
J.O No.UP06397

Digitally signed by Santosh Kumar Yadav
Date: 2022.10.13 15:26:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court